राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकः प0 11(1)चिस्वा/2/2019/विविध जयपुर,दिनांकः– 19.03.19

आदेश

डॉ हरवेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट जिला नागौर के विरूद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–13 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश एतदद्वारा प्रदान करती है।

डॉ हरवेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट जिला नागौर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक(जनस्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के कार्यालय में रहेगा। डॉ सिंह को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें। डॉ सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अलग से भिजवाये जा रहे हैं।
4. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित कर लेख है कि डॉ हरवेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 2 दिवस में आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
6. डॉ हरवेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागोट जिला नागौर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशालय में इस प्रयोजनार्थ रखी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 वर्मा)
शासन सहायक सचिव